<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>15.06.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के एक मामले में 01.06.2026 एवं 04.06.2026 को मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु तथा गुरुग्राम स्थित 8 स्थानों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी में शामिल परिसरों में मेसर्स पेक्स डिजिटल पेमेंट प्रा. लि., मेसर्स स्मूदपे डिजिटल प्रा. लि., मेसर्स किन्सेन बिजनेस सॉल्यूशन प्रा. लि., मेसर्स सेफएक्सपे टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. (वर्तमान में मेसर्स टूरास टेक ग्लोबल प्रा. लि.), मेसर्स ज्ञान कुबेर लिमिटेड तथा मेसर्स डीसेंट्रो टेक प्रा. लि. शामिल हैं। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं, जिनकी विस्तृत जांच की जा रही है। पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1ए) के तहत कुल 129 बैंक खातों, जिनमें 18.4 करोड़ रुपये की शेष राशि उपलब्ध थी, के उपयोग को रोक (फ्रीज कर) दिया गया है। इसके अतिरिक्त, तलाशी के दौरान कुछ लॉकरों के उपयोग को रोक (फ्रीज कर) दिया गया है।

ईडी ने पश्चिम बंगाल के बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय के साइबर अपराध पुलिस थाना में साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से फर्जी निवेश से संबंधित दर्ज की गई अनेक प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की थी। पीड़ितों को सोशल मीडिया मंचों तथा व्हाट्सएप समूहों (जैसे स्टॉक फ्रंटलाइन सी4, वैनगार्ड सी7 आदि) के माध्यम से आईपीओ एवं शेयर बाजार में निवेश पर उच्च प्रतिफल का प्रलोभन देकर सीएचसी-एसईएस, एलिस, एस्कॉर्ट्स आदि ऐपों के माध्यम से निवेश करने हेतु प्रेरित किया गया। भोले-भाले निवेशकों द्वारा निवेश किए जाने के उपरांत, उक्त ऐपों में उच्च प्रतिफल प्रदर्शित किया जाता था, किन्तु जब निवेशकों ने अपनी राशि निकालने का प्रयास किया, तब उनसे कर आदि मदों के नाम पर अतिरिक्त धनराशि जमा करने की मांग की गई। इस प्रकार, विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अनेक निर्दोष निवेशकों को धोखे का शिकार बनाया गया।

पीएमएलए, 2002 के तहत की गई जांच से यह उजागर हुआ है कि साइबर धोखाधड़ी से अर्जित अपराध की आय को मुखौटा संस्थाओं (म्यूल एंटिटीज), धर्मार्थ न्यासों के खातों तथा भुगतान गेटवे कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से प्रवाहित एवं विभिन्न स्तरों पर परतबद्ध (लेयरिंग) किया गया था। लेन-देन के स्वरूप से संदिग्ध मुखौटा खातों से धनराशि प्राप्त होना, अनेक संस्थाओं के माध्यम से धनराशि का विभिन्न स्तरों पर अंतरण (इंटर-लेयरिंग) किया जाना तथा भुगतान गेटवे कंपनियों के बीच बड़ी मात्रा में धनराशि का हस्तांतरण किया जाना परिलक्षित होता है, जिससे अपराध की आय को छिपाने एवं उसका धन शोधन किए जाने का संकेत मिलता है। जांच से आगे यह भी स्थापित हुआ है कि इन संस्थाओं में से अनेक के बीच समान निदेशक, समान व्यावसायिक परिसर, वित्तीय संबंध तथा धनराशि के हस्तांतरण विद्यमान थे।

आगे की जांच जारी है।